सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 96/2019 — दायर दिनाँक 25.03.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामुराम पुत्र हीराराम 2. भंवरलाल पुत्र तेजाराम 3. हेमाराम पुत्र सेवाराम समस्त जाति जाट निवासी दौलतपुरा, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गणेशा पुत्र गोपीराम 2. मंगाराम पुत्र तुलछाराम 3. कानाराम पुत्र तुलछाराम 4. अर्जाराम पुत्र तुलछाराम 5. रामनारायण पुत्र तुलछाराम 6. झमकु बेवा हीराराम समस्त जाति जाट निवासी दौलतपुरा तह0 डीडवाना, जिलाा नागौर राज0। 7. जीवणराम पुत्र जीवराम जाति जाट निवासी जाखड़ो का बास 8. मैनेजर भारतीय स्टैट बैंक शाखा, डीडवाना। 9. मैनेजर यूको बैंक शाखा, डीडवाना 10. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री रणजीत बलारा वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **06.08.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 517 रकबा 51.19 बीघा, खसरा सं0 521 रकबा 0.08 गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा सं0 522 रकबा 19.01 बीघा वाके सरहद दौलतपुरा की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी झमकु के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा खसरा सं0 520 रकबा 26 बीघा वाके दौलतपुरा की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण जीवणराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, तथा खसरा सं0 494 रकबा 28.15 बीघा वाके दौलतपुरा की वर्तमान में खातेदारी वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने आज से करीब 20 वर्ष पूर्व ही उक्त खेतो का मोखिक बंटवारा कर लिया था जो इस प्रकार से है –

वादी रामुराम के बंट व कब्जा काश्त के खेत :– खेत खसरा सं0 517 रकबा 51.19 बीघा में से 21.17 बीघा, खसरा सं0 520 रकबा 26 बीघा में से 9.14 बीघा कुल 31.11 बीघा बंट में आया।

वादी भंवरलाल के बंट व कब्जा काश्त के खेत – खसरा सं0 517 रकबा 51.19 बीघा में से 08.08 बीघा, खसरा सं0 520 रकबा 26 बीघा में से 08.06 बीघा, खसरा सं0 522 रकबा 19.01 बीघा में से 09.11 बीघा, खसरा सं0 494 रकबा 25.15 बीघा में से 04.16 बीघा कुल 31.01 बीघा भूमि बंट में आयी, खसरा सं0 521 की खातेदारी यथावत रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 14:59:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उक्त बंटवारे को वादीगण ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है जो वाद का भाग है। नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। वादी हेमाराम के हिस्सें में खेत ज्यादा इसलिये आया क्योंकि एक खेत खसरा संख्या 566 रकबा 25.04 बीघा वाके दौलतपुरा वादी रामूराम व भंवरलाल के बंट में आया था, तथा भंवरलाल ने अपना हिस्सा रामूराम को बेच दिया इसलिये अकेले रामूराम के नाम से खातेदारी दर्ज हो गयी, जो उन्ही के पास है तथा खेत खसरा संख्या 494 रकबा 28.15 बीघा में 1/3 के अलावा खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 के नाम से रकबा 19.03 बीघा यथावत रहेगी। क्योकिं उक्त खसरा संख्या में 1/3 हिस्सा रकबा 04.16 बीघा में वादी हेमाराम व भंवरलाल रकबा 04.16 बीघा के बंट में आया हुआ है। तथा खसरा संख्या 494 में 1/3 हिस्से की खातेदारी भंवरलाल व हीराराम के नाम से है, वादी हेमाराम का नाम सहव में छुट गया था, जिसको खातेदार घोषित किया जाकर हीराराम का नाम हटाया जाना न्यायोचित है तथा खसरा संख्या 520 रकबा 26 बीघा में से प्रतिवादी जीवणराम का नाम हटाया जाना कानूनन जरूरी है क्योंकि वह वर्षो पूर्व ही यहां की जमीन के पेटे ग्राम जाखड़ों का बास अलखपुरा में जाकर रह रहा है। उसका इस भूमि से काई लेना–देना नही रहा है। तथा इसकी रेकर्ड में दुरूस्ती की जानी जरूरी है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है –

1. यह है कि खेत खसरा संख्या 517 रकबा 51.19 बीघा, खसरा सं0 521 रकबा 0.08 बीघा गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा सं0 522 रकबा 19.01 बीघा, खसरा सं0 520 रकबा 26 बीघा, खसरा सं0 494 रकबा 28.15 बीघा वाके दौलतपुरा का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाकर वाद में उपरोक्त वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावें। खसरा सं0 521 की खातेदारी यथावत रखी जावें।
2. यह है कि खसरा सं0 520 रकबा 26 बीघा में से प्रतिवादी जीवणराम का नाम गलत दर्ज होने से हटाया जावे, तथा खसरा संख्या 494 रकबा 28.15 बीघा में से सहव से छुटे हुये नाम वादी हेमाराम की घोषणा की जाकर वादी हीराराम का नाम हटाया जाकर उसकी जगह हेमाराम के नाम से घोषणा की जावें तथा उपरोक्त बंटवारा के अनुसार पक्षकारान की अलग–अलग खातेदारी दर्ज की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ने अपना शपथ–पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 ने स्वयं अदालत में हाजिर होकर जरिये अधिवक्ता ईकबाली जबाब पेश किया,

यह है कि उक्त नजरी नक्शे में दर्शित खेत खसरा सं0 517 रकबा 51.19 बीघा, खसरा सं0 521 रकबा [illegible] मुमकिन [illegible] खसरा सं0 522 रकबा 19.01 बीघा, खसरा सं0 520 रकबा 26 [illegible] ग्राम [illegible]लतपुरा में सभी पक्षकारान ने आपसी सहमति व स्वेच्छा से उक्त [illegible]

रेकर्ड का अवलोकन [illegible] तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 14:59:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः हस्व दावा मौजा दौलतपुरा के खेत खसरा सं0 517 रकबा 51.19 बीघा, खसरा सं0 521 रकबा 0.08 गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा सं0 522 रकबा 19.01 बीघा, खसरा सं0 520 रकबा 26 बीघा, खसरा सं0 494 रकबा 28.15 बीघा तथा खसरा सं0 520 में से जीवणराम का खसरा सं0 494 में से हीराराम के नाम हटाये जाते है। वाद में पेश नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग–अलग खातेदारी घोषित की जाती है। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **06.08..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 14:59:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 96/2019 | दायर दिनाँक 25.03.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामुराम पुत्र हीराराम 2. भंवरलाल पुत्र तेजाराम 3. हेमाराम पुत्र सेवाराम समस्त जाति जाट निवासी दौलतपुरा, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गणेशा पुत्र गोपीराम 2. मंगाराम पुत्र तुलछाराम 3. कानाराम पुत्र तुलछाराम 4. अर्जाराम पुत्र तुलछाराम 5. रामनारायण पुत्र तुलछाराम 6. झमकु बेवा हीराराम समस्त जाति जाट निवासी दौलतपुरा तह0 डीडवाना, जिलाा नागौर राज0। 7. जीवणराम पुत्र जीवराम जाति जाट निवासी जाखड़ो का बास 8. मैनेजर भारतीय स्टैट बैंक शाखा, डीडवाना। 9. मैनेजर यूको बैंक शाखा, डीडवाना 10. 10. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **06.08.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रणजीत बलारा वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा मौजा दौलतपुरा के खेत खसरा सं0 517 रकबा 51.19 बीघा, खसरा सं0 521 रकबा 0.08 गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा सं0 522 रकबा 19.01 बीघा, खसरा सं0 520 रकबा 26 बीघा, खसरा सं0 494 रकबा 28.15 बीघा तथा खसरा सं0 520 में से जीवणराम का खसरा सं0 494 में से हीराराम के नाम हटाये जाते है। वाद में पेश नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग–अलग खातेदारी घोषित की जाती है। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.08.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 14:59:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner